डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ (अजमेर)

व इजलास श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 91/2022

लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. मंगलदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम टोकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निवासी वैष्णव बस्ती, वार्ड नं. 01, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

न्यायालय हाजा में वकील वादी की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 08.09.2025 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी रजत यादव, आई.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा, दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी, बहस वकील वादी एवं वाद के तनकीवार विवेचन के अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेश दियें जातें है कि ग्राम टोंकडा के खसरा संख्या 257/101 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066–2069)ज माबन्दी सम्वत 2077 वर्ष 2020 से स्थाई में "मुन्ना पुत्र मंगलदास" के स्थान पर वादी "लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास " के नाम का अंकन किया जावे।

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/9/25 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)
किशनगढ अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0 91/2022

लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. मंगलदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी ग्राम टोकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर हाल निवासी वैष्णव बस्ती, वार्ड नं. 01, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर (राज.) **वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.) **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1. वाद का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि वादी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर का स्थाई निवासी है तथा वर्तमान में वैष्णव बस्ती, वार्ड नं. 01, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर (राज.) में निवास कर रहा है। वादी व उसके भाईयों कैलाश व हरि पुत्रगण स्वर्गीय मंगलदास के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर किस्म बंजर फर्स्ट ग्राम टोंकड़ा पटवार हल्का टोंकड़ा तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित है जिस पर वादी व उसके भाई कैलाश व हरि पुत्रगण स्वर्गीय मंगलदास संयुक्त रूप से काबिज है। उक्त कृषि आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है तथा उसके भाई कैलाशचन्द पुत्र स्व. मंगलदास का 1/3 हिस्सा है व हरि पुत्र स्व. मंगलदास का 1/3 हिस्सा है। वादी को बचपन से ही उसके घर वाले मुन्ना के नाम से पुकारते थे तथा उसके पड़ौसी व अन्य परिजन भी उसे मुन्ना के नाम से ही पुकारा करते थे जबकि वादी का सही नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. मंगलदास है तथा सम्बन्धित दस्तावेजात (आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक की पासबुक, भामाशाह ई कार्ड, जन आधार कार्ड व ग्राम पंचायत खातोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र) में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. मंगलचन्द अंकित है। सहवन से ग्राम टोंकड़ा पटवार हल्का टोंकड़ा की वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर किस्म बंजर फर्स्ट में वादी का नाम मुन्ना पुत्र स्व. मगलदास अंकित कर दिया गया है जब कि वादी का असली नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. मंगलदास है। जिसके कारण वादी को परेशानी हो रही है। न तो वादी उक्त गलत अंकन के आधार पर सम्बन्धित बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड पर कोई ऋण ले सकता है और न ही कृषि कार्य के विकास हेतु किसी अन्य बैंक से कोई धनराशि प्राप्त कर पा रहा है तथा वादी उक्त कृषि आराजी के विकास करने में असमर्थ है जिसके कारण वादी को भारी हानि उठानी पड़ रही है। वादी का सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में सहवन से गलत नाम अंकित कर दिये जाने के कारण वादी को विवश होकर माननीय न्यायालय के समक्ष रेकार्ड दुरुस्ती व घोषणा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सहायक भू अभिलेख अधिकारी होने के कारण उसे प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया जाना विधि सम्मत होने के कारण प्रतिवादी को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी ग्राम टोंकड़ा पटवार हल्का टोंकड़ा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार वादी को वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर किस्म बंजर फर्स्ट के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

जावे तथा वादग्रस्त कृषि आराजी के सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम मुन्ना पुत्र स्व. (मंगलदास) के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र स्वर्गीय मंगलदास अंकित किये जाने हेतु प्रतिवादी सहायक भू अभिलेख मंगलदास अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित किया जावे।

2. वादी का वाद दिनांक 06.06.2022 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी करवाई गई। दिनांक 08.04.2024 को तहसीलदार किशनगढ ने जवाब पेश किया वादी के वाद का बिन्दु संख्या 02 आंशिक स्वीकार है कि ग्राम टोंकडा की वर्तमान जमाबन्दी में वादी व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज है। शेष वाद वादी स्वयं सिद्व करें।

3. वाद में दिनांक 11.06.2024 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 11.06.2024 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया तथा वाद पत्र में संशोधन किया गया। दिनांक 27.05.2025 को वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के शपथ पत्र पर वादी की साक्ष्य ली गई तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श का अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है:-

प्रदर्श 01 ए :- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 02 ए:- पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 03 ए राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 04 ए बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 05 ए भामाशाह कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 06 ए जनाधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
प्रदर्श 07 जमाबन्दी सम्वत 2066- 69 खसरा संख्या 275/101
प्रदर्श 08 ग्राम पंचायत खातौली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 12.05.2025

4. दिनांक 08.09.2025 को वकील वादी द्वारा शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. गवाह पी.डब्ल्यू 02 कमल किशोर वैष्णव व शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी. सी. गवाह पी.डब्ल्यू 03 कैलाश चन्द वैष्णव के पेश किये गये जिनके बयान लेखबद्व किये गये। दिनांक 08.09.2025 को वकील वादी की अन्तिम बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार वादी को वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा नम्बर 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर किस्म बंजर फर्स्ट के 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादग्रस्त कृषि आराजी के सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम मुन्ना पुत्र स्व. (मंगलदास) के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र स्वर्गीय मंगलदास अंकित किये जाने हेतु प्रतिवादी सहायक भू अभिलेख मंगलदास अधिकारी, किशनगढ को निर्देशित किया जावे।

5. हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई तथा वाद पत्र का व दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार विवेचन किया गया।

• तनकी संख्या 01 आया वादी ग्राम टोंकडा के खसरा संख्या 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर भूमि का संयुक्त खातेदारी में 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है-
वादी

निर्णय :- वादी द्वारा तनकी संख्या 01 के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 01 ए आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 02 ए पहचान पत्र में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 03 ए राशन कार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 04 ए बैंक पासबुक में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास का अंकन है एवं प्रदर्श 08 में पंचायत खातौली ने भी उल्लेख किया है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास व मुन्ना पुत्र मंगलदास एक ही व्यक्ति है। साथ ही वादी द्वारा अपने बयानों में भी बयान किया है कि नामान्तरण के समय वादी का नाम मुन्ना दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का असल नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास ही है। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 कैलाश चन्द व गवाह पी.डब्ल्यू. 03 कमल किशोर ने भी उक्त तथ्य स्वीकारा है कि नामान्तरण के समय वादी का नाम मुन्ना दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का असल नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास ही है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के अनुसार उक्त तनकी बहस वादी निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

• तनकी संख्या 02:— आया वादी ग्राम टोंकडा के खसरा संख्या 257/101 रकबा 1.9821 हैक्टेयर भूमि में मुन्ना पुत्र स्व. मंगलदास के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास शुद्धी करवाने का अधिकारी है—

वादी

निर्णय :— वादी द्वारा तनकी संख्या 02 के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 01 ए आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति में वादी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 02 ए पहचान पत्र में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 03 ए राशन कार्ड में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास दर्ज है। प्रदर्श 04 ए बैंक पासबुक में लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास का अंकन है एवं प्रदर्श 08 में पंचायत खातौली ने भी उल्लेख किया है कि लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास व मुन्ना पुत्र मंगलदास एक ही व्यक्ति है। साथ ही वादी द्वारा अपने बयानों में भी बयान किया है कि नामान्तरण के समय वादी का नाम मुन्ना दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का असल नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास ही है। गवाह पी.डब्ल्यू. 02 कैलाश चन्द व गवाह पी.डब्ल्यू. 03 कमल किशोर ने भी उक्त तथ्य स्वीकारा है कि नामान्तरण के समय वादी का नाम मुन्ना दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का असल नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास ही है। जबकि वादी का नाम जमाबन्दी खसरा संख्या 257/101 में मुन्ना दर्ज है जिसे वादी तनकी संख्या 01 की रूह में शुद्ध करवाने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य के अनुसार उक्त तनकी बहस वादी निर्णीत की जाती है।

• तनकी संख्या 03:— आया वाद कारणउत्पन्न नहीं होने के कारण वादी का वाद खारिज योग्य है

— प्रतिवादी

निर्णय :— तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादी पर था किन्तु प्रतिवादी द्वारा तनकी के समर्थन में कोई भी दस्तावेज न्यायालय हाजा में पेश नहीं किये गये ना ही प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य गवाह न्यायालय में पेश किये गये अतः गवाह व दस्तावेज के अभाव में तनकी संख्या 03 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

वाद के तनकीवार विवेचन एवं वकील वादी वादी की बहस के उपरान्त न्यायालय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.का.अधि. व 136 भू.राज.अधि. स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार करती है। तहसीलदार किशनगढ को आदेश दियें जातें है कि ग्राम टोंकडा के खसरा संख्या 257/101 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066—2069)जमाबन्दी सम्वत 2077 वर्ष 2020 से स्थाई में "मुन्ना पुत्र मंगलदास" के स्थान पर वादी "लक्ष्मीनारायण पुत्र मंगलदास " के नाम का अंकन करें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। अन्य जमाबन्दी इन्द्राज यथावत रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश हमारे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)